न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 95/2018

1 रामलाल दत्तक कुशला जाति जाट निवासी ग्राम बिराणियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर जरिये पॉवर अटॉनी होल्डर श्रीमती बाजू देवी पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम बिराणियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 ताराचन्द पुत्र खुमाणा।
2 बिरजु पुत्र खुमाणा।
3 जगदीश पुत्र खुमाणा।
4 सुगनी बेवाह राजकुमार।
5 राकेश पुत्र राजकुमार।
6 अंकित पुत्र राजकुमार।
7 पिंकी पुत्री राजकुमार।
8 भगवानाराम पुत्र लिछमण।
9 ओमप्रकाश पुत्र लिछमण।
10 शुभकरण पुत्र लिछमण समस्त जाति जाट निवासीगण बिराणियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
11 श्रीमती तहसील भू अभिलेख फतेहपुर जिला सीकर।

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय फतेहपुर पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेणु मीणा आर.ए.एस. मुकदमा नम्बर 73/2018 उनवानी ताराचन्द बनाम बिरजु आदि निर्णय दिनांक 27.06.2018

उपस्थिति :

1. श्री गंगाधर भूरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जसवन्त सिंह भूरिया, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री प्रभातीलाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 18.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा संख्या 73/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 27.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 422 रकबा 4.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 421 रकबा 4.03 हैक्टेयर तन ग्राम बिरानियां हल्का बिरानियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर में अवस्थित है। जिसे वाद पत्र में आगे वाद पत्र में विवादित रास्ते की भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 422 रकबा 4.03 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 421 रकबा 4.03 हैक्टेयर कृषि भूमियां प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 की पैतृक कृषि भूमियां है एवं प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। उपरोक्त कृषि की भूमि में मुझ प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 के आम रास्ते के खसरा नम्बर 421 रकबा 4.03 हैक्टेयर वाके ग्राम बिराणियां से चलकर ग्राम दातरू रास्ता जाता है उक्त कटानी रास्ता है जिसके खसरा नम्बर 421 जिसमें से होकर एक पगडण्डीनूमा आम प्रचलन रास्ता खेत खसरा नम्बर 422 में प्रवेश करता है जिसमें से उपरोक्त कृषि भूमि खातेदार अपने कृषि उपयोग उपभोग में लिए जाने वाले कृषि यंत्र व अपने खेत से अनाज व पशुओं के लाने व ले जाने इत्यादि कार्यो के लिए काफी वर्षो से उपयोग व उपभोग में लिये जाने वाला प्रचलित पगडण्डीनूमा रास्ता मौके पर 15 फिट मौजूद है बल्कि उपरोक्त पगडण्डीनूमा 15 फिट रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन नही है। उपरोक्त रास्ते को खसरा नम्बर 421 में से होते हुए खसरा नम्बर 422 तक राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ते को मुझ प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 की कृषि भूमि में से पगडण्डी को आम प्रचलित रास्ते में करवाना चाहता हूं जिसकी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डीएलसी कीमत से रास्ते की भूमि की कीमत बनती है वो प्रार्थी जमा करवाने को तैयार है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट के विरूद्व विचारण न्यायालय में सम्यक तामील नही हुई है। तामील की कार्यवाही में तामील फर्जीरूप से इन्कारी की बताई गई है। जबकि अपीलांट के नोटिस पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नही है। तामील सशपथ नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपीलांट सी.आर.पी. एफ में सेवारत सैनिक है अपीलांट को इसकी जानकारी नही हुई। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत कर दी है। अपील स्वीकार कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमाण्ड की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट की तामील सम्यक नही है इस बाबत अपीलांट को ऑन ड्यूटी के साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए थे। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। इन्कारी पर चस्पादगी से तामील की गई है। फर्द मौके अनुसार अपीलांट की पत्नी ने रास्ते की भूमि के बदले भूमि देने पर रास्ता कायम करने की सहमती दी थी। 251ए में नियम 70 के तहत प्रतिफल राशि डी.एल.सी. रेट से दौगुनी निर्धारित है। भूमि के बदले भूमि का प्रावधान नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. (1) 2019 पेज 285,574 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न अपीलांट के तामीली नोटिस का अवलोकन किया गया। इसकी पुश्त पर तामील कुनिन्दा ने अंकित किया है कि रामलाल पुत्र कुशला गांव बिरायणा गांव में मौजुद मिला नोटिस लेने से इन्कार किया। साइन करने से मना किया बाद तामील सेवा में पेश है।

उक्त तामीली रिपोर्ट पर तामील कुनिन्दा भंवरसिंह के हस्ताक्षर है तहसीलदार के हस्ताक्षर है परन्तु इन्कारी के उपरान्त तामील कुनिन्दा द्वारा अपीलांट के नोटिस को न तो चस्पा किये जाने का अंकन है एवं न ही किसी गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की तामील को सम्यक नही माना जा सकता है।

चूकिं अपीलांट को सम्यक तामील नही हुई है। ऐसी स्थिति में सम्यक तामील के अभाव में अपीलांट को सुने बिना पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.11.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सूरजवीर सिंह चौधरी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर